गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /व्यव0अनु0/2026 दिनांक

प्रभारी विज्ञापन

नीलामी सूचना का विज्ञापन नियमानुसार समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर इनकी दो–दो प्रतियाँ व्यवसायिक अनुभाग में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

नीलामी दिनांक 12–11–2026 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनिस्तारित/रिक्त/नवसृजित विभिन्न श्रेणी के आवासीय, व्यवसायिक, मिक्स लैण्ड यूज, फैसलिटी भूखण्ड, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड, दुकान भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, ओल्ड एज होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल भूखण्ड इत्यादि सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने की दिनांक 12–11–2026 को प्रस्तावित नीलामी हिन्दी भवन, लोहियानगर, गाजियाबाद के स्थान पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में आयोजित की जायेगी।

एवं

नीलामी विवरण पुस्तिका/ब्रोशर की संशोधित धारा–7(i) प्रभावी होने के कारण धारा–6 प्लान–बी0 की उपधारा–v इस प्रकार है :–

यदि आवंटी प्लान–ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटी प्लान–बी स्वीकार करता है तो ब्रोशर की धारा–7(i) के अनुसार धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी प्राधिकरण के भवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटी को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा, परन्तु प्लान बी की स्थिति में प्राधिकरण से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विक्रय किये गये भूखण्ड/सम्पत्तियों को हस्तान्तरित करने, किराये पर देने एवं उपविभाजित करने का अधिकार नहीं होगा।

(प्रदीप कुमार सिंह)
अपर सचिव

पृष्ठांकनः 1076(5) /व्यव0अनु0/2026 दिनांक 04/11/26

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष महोदय को, सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय, को सूचनार्थ।
3. शाखा प्रबन्धक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, आर0डी0सी0 राजनगर को उपरोक्त शर्तों का संशोधन ब्रोशर में कराये जाने हेतु।
4. प्रभारी कम्प्यूटर को उपरोक्त सूचना प्राधिकरण वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अपर सचिव